संख्या-24/2017/1050/18-4-2017-7(5)/92

प्रेषक,

पन्ना लाल,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त एवं निदेशक उद्योग,
उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन निदेशालय उ0प्र0,
कानपुर।

सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-4 लखनऊः दिनांकः 31 अगस्त,2017

विषय- वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु योजना "राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना" के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त नियंत्रक उद्योग, उद्योग निदेशालय उ0प्र0 कानपुर के पत्र संख्या-65/4-वित्त/बजट मांग/2017-18, दिनांक 04-8-2017 तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उ0प्र0 व्यापार प्रोत्साहन प्राधिकरण उद्योग निदेशालय कानपुर के पत्र संख्या-180/यू0पी0टी0पी0ए0, दिनांक 28-8-2017 के सदंर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-496/18-4-2017-7(5)/92, दिनांक 21-6-2017 के अनुक्रम में "राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना" योजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0 100.00 लाख (रू0 एक करोड़) मात्र के सापेक्ष (रू0100.00 लाख-रू0 41.00लाख) =रू0 59.00 लाख (रूपये उनसठ लाख) मात्र की धनराशि संलग्न विवरण के अनुसार निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन आपके निवर्तन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

2- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग पूर्व निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत मार्ग-दर्शक सिद्धान्तों का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का अन्य मद में व्यावर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य न होगा।

3- उपर्युक्त स्वीकृत धनराशि सक्षम अधिकारी की वास्तविक मांग पर आहरित की जायेगी तथा उक्त धनराशि केवल उपर्युक्त स्वीकृत योजना पर ही व्यय की जायेगी। किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि अथवा उसके किसी अंश का उपयोग अन्य मदों/अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु नही किया जायेगा ।

4- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत योजना हेतु किसी अन्य योजना से धनराशि स्वीकृत नहीं हुयी है।

5- योजनान्तर्गत स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/डिपार्टमेंट खाता में जमा नहीं किया जायेगा।

6- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष होने वाले व्यय का नियंत्रण, वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 6 जून,1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

7- व्यय प्रबंधन एवं शासकीय व्यय में मितव्यतिता के सम्बंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के साथ-साथ उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तो की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य मानको (स्टेण्डर्डस ऑफ फाईन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चत किया जायेगा।

8- स्वीकृत धनराशि के व्यय के सम्बंध में वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता सम्बंधी वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में उल्लिखित निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का मदवार मासिक व्यय विवरण शासन के विशेष सचिव वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6 एवं सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को प्रपत्र बी-एम-13 में पूर्णतया भरकर उपलब्ध कराया जायेगा ।

10- प्रस्तर-1 में स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र महालेखाकार (लेखा परीक्षा)-1 एवं 2 उ0प्र0 इलाहाबाद तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग उ0प्र0 शासन को धनराशि व्यय किये जाने के एक माह के भीतर उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ।

11- उक्त कार्य पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय- व्ययक अनुदान संख्या-3 के अधीन लेखाशीर्षक-2851-ग्राम तथा लघु उद्योग-800-अन्य व्यय-03-राष्ट्रीय, तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक मेलों तथा प्रदर्शनियों में भाग लेना-19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय " के नामे डाला जायेगा।

12- यह आदेश वित्त विभाग के ज्ञाप संख्या-8/2017-बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त,2017 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अंतर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक: यथोक्त ।

भवदीय,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-24/2017/1050(1)/18-4-2017, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- कोषाधिकारी, कानपुर ।
4- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, 125 जवाहर भवन, लखनऊ ।
5- संयुक्त निर्यात आयुक्त, निर्यात प्रोत्साहन ब्यूरो, लखनऊ।
6- वित्त नियंत्रक, उ0प्र0 उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7-निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद।
8-वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/नियोजन अनु0-1/ सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनु0-3
9-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

संख्या-24/2017/1050/18-4-17-7(5)/92, दिनांक 31 अगस्त,2017 का संलग्नक

क्र0 सं0	मद का नाम	स्वीकृत धनराशि (रूपये में)
1.	टेलीफोन मेले का आयोजन तथा वर्षभर	10,500.00
2	स्टेशनरी/पोस्टेज, फोटो स्टेट आदि पर व्यय	23,334.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

3	आई0टी0पी0ओ0 को भुगतान लाइसेंस फीस के प्रति पावर का उपयोग वाटर एवं मलवा चार्जेज, प्रेस कान्फ्रेस, कैटलाग इन्ट्री एवं प्रवेश टिकटों का क्रय आदि	40,50,000.00
4	मेले के दौरान मण्डप का बीमा	13,500.00
5	पेट्रोल, डीजल एवं सर्विसिंग	29,167.00
6	उ0प्र0 दिवस उदघाटन एवं समापन समारोह	2,91,667.00
7	इन्र्वटर एवं फायर फाइटिंग की व्यवस्था	23,334.00
8	वी0आई0पी0 स्वागत सत्कार	10,9667.00
9	फोटोग्राफी पर व्यय	58,334;00
10	प्रिन्टिंग एवं विज्ञापन पर व्यय	87.500.00
11	आटो रिक्शा एवं टैक्सी	40,834.00
12	मेले के दौरान सफाई सामग्री एवं सफाई कर्मचारी इत्यादि पर व्यय	45,994.00
13	सिक्योरटी गार्ड के प्रति भुगतान पूर्ण वर्ष एवं मण्डप की सी0सी0टी0वी0 की स्थापना	27,0000.00
14	स्वीपर पूर्ण वर्ष	29,500.00
15	विविध व्यय	23,334.00
16	सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन	70,000.00
17	कार्यालय का रख-रखाव फर्नीचर इत्यादि पर व्यय	23,334.00
18	अधिकारियों एवं कर्मचारियों का यात्रा व्यय	87,500.00
19	मण्डप का रख रखाव (विद्युतीकरण)	1,45,834.00
20	सिविल वर्क का रख रखाव तथा मण्डप पर दीवारों की पेंन्टिंग	3,50,000.00
21	थीम के अनुसार आन्तरिक एवं वाह्य साज सज्जा पर व्यय एवं मण्डप पर फूलो से सजावट तथा प्लान्टेंशन	1,16,667.00
	योग	59,00,000/-

(रू0 उनसठ लाख) मात्र

(पन्ना लाल)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।